

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2017—पौष 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. 604-4-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ३ का संशोधन.
३. धारा ५ का संशोधन.
४. धारा १३ का संशोधन.
५. प्रथम अनुसूची का संशोधन.
६. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१७

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १० जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(३) मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर, उपधारा (१) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "हरित कर" देय होगा.

(४) उपधारा (१) और (३) के अधीन देय कर के अतिरिक्त मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "अंतरण कर" देय होगा."

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा यान जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिसके जीवनकाल कर का संदाय द्वितीय सूची में विनिर्दिष्ट दर से किया गया है, ऐसे यान का स्वामी जीवनकाल कर का २५ प्रतिशत शास्ति के रूप में जमा करने का दायी होगा."

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद पांच में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "५०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत था और जिसका पंजीकृत लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा :—

(क) १२००० किलोग्राम से अधिक परन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है. रुपये ३२५० प्रति तिमाही

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए, रुपये २५० प्रति तिमाही :

परन्तु यान के स्वामी को द्वितीय अनुसूची के मद ७ के अनुसार जीवनकाल कर भुगतान करने का विकल्प होगा.".

(ग) उप मद (३) में, स्पष्टीकरण ३ एवं ४ का लोप किया जाए;

(दो) मद छह में, कालम (२) में, अंक "४८०" के स्थान पर, अंक "६००" स्थापित किए जाएं;

(तीन) मद आठ के पश्चात्, निम्नलिखित नए मद अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"नौ. अंतरण कर

स्वामित्व के अंतरण के समय, निम्नलिखित अंतरण कर देय होगा :—

(एक) गैर परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.

(दो) परिवहन यान पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का ०.५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.— यान के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व के अंतरण की दशा में अथवा मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के अधीन सरकार द्वारा लोक नीलामी द्वारा अंतरण पर इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त मोटरयान कर देय नहीं होगा.

दस. हरित कर

(१) पंजीयन के नवीकरण के समय अथवा पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, गैर परिवहन यान पर निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क) दो पहिया वाहन पर रुपए ५०० (पांच वर्ष के लिए)

(ख) दो पहिया वाहन से भिन्न अन्य यान पर रुपए १००० (पांच वर्ष के लिए).

(२) विनिर्माण वर्ष से आठ वर्ष पुराने परिवहन यान का फिटनेस प्रमाण-पत्र के समय, निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क) दो पहिया वाहन, हल्के मोटरयान एवं मध्यम मोटरयान रुपए ५००

(ख) भारी मोटरयान रुपए १०००".

६. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

(एक) मद १, २ तथा ३ का लोप किया जाए;

(दो) मद ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई मदें स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४ क. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनका मानक मूल्य १० लाख तक हो—

(क) डीजल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत

- (ख) पेट्रोल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
- (ग) हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
- (घ) बैटरी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
- ४ ख. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जिनका मानक मूल्य रुपए १० लाख से अधिक हो—
- (क) डीजल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ९ प्रतिशत
- (ख) पेट्रोल द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत
- (ग) हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
- (घ) बैटरी द्वारा चलित यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
- ४ ग. ऐसे दुपहिया तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मध्यप्रदेश राज्य में लाए गए हो, उक्त यान का स्वामी मद ४ क तथा ४ ख में उल्लिखित दरों के निम्नलिखित प्रतिशत में कर का संदाय करेगा—
- (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने पंजीकृत यान. ८० प्रतिशत
- (ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान. ६० प्रतिशत”;

(तीन) मद ५ का लोप किया जाए;

(चार) मद ७ में, शब्द तथा अंक “रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा” का लोप किया जाए तथा उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु ऐसे माल यान जिनका लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची के मद पांच (२) के अनुसार कर के संदाय का विकल्प होगा.”;

(पांच) मद ७ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“७ क ऐसे माल यान अथवा ऐसे मोटरयान जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों की किसी श्रेणी के अंतर्गत न हों, जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन पर जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी :—

- (क) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने माल यान/मोटर यान यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
- (ख) अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने माल यान/मोटर यान यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. 604-4-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 of 2017

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 5.
4. Amendment of Section 13.
5. Amendment of First Shedule.
6. Amendment of Second Schedule.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2017

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (2), the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3) In addition to tax payable under sub-section (1), on every motor vehicle being kept for use in the State of Madhya Pradesh, "Green Tax" shall be payable at the rate specified in the First Schedule, for the purpose of implementation of various measures to control air pollution.

(4) In addition to tax payable under sub-section (1) and (3), "transfer tax" shall be payable at the rate specified in the First Schedule on every transfer of ownership of motor vehicle."

Amendment of Section 5.

3. In Section 5 of the Principal Act, in sub-section (2), first, second and third provision shall be omitted.

Amendment of Section 13.

4. In Section 13 of the principal Act, in sub-section (2), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such vehicle which is registered in the State of Madhya Pradesh and has paid life time tax at the rate specified in the Second Schedule, the owner of the vehicle shall be liable to deposit 25 percent of the life time tax as a penalty."

Amendment of First Schedule.

5. In the First Schedule to the principal Act,—

(i) in item V,—

(a) in sub-item (1), for the figure "5000", the figure "12000" shall be substituted;

(b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(2) On goods vehicle which was registered in the Madhya Pradesh prior to 1st October, 2014 and having registered laden weight more than 12000 kg the tax shall be as follows:—

(a) Exceeds 12000 kg. but does not exceed 13000 kg. Rs. 3250 per quarter

(b) Thereafter for each 1000 kg. or part thereof Rs. 250 per quarter:

Provided that the owner of the vehicle shall have option to pay lifetime tax in accordance with item 7 of the Second Schedule.;"

(c) in sub-item (3), explanations 3 and 4 shall be omitted;

- (ii) in item VI, in column (2), for the figure "480", the figure "600" shall be substituted;
- (iii) after item VIII, the following new items shall be inserted, namely:—

"IX TRANSFER TAX

At the time of transfer of ownership, the following transfer tax shall be payable:—

- | | |
|---------------------------|---|
| (i) non-transport vehicle | 1 percent of the standard price of the vehicle at the time of registration |
| (ii) transport vehicle | 0.5 percent of the standard price of the vehicle at the time of registration. |

Explanation.—In case of transfer of ownership on death of vehicle owner or on transfer by public auction by the Government under sub-section (2) of Section 50 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), additional motor vehicle tax shall not be payable as specified in this Schedule.

X. GREEN TAX

- (1) On an application submitted in the office at the time of renewal of registration or after expiration of the term of registration, the following Green tax shall be payable on the non-transport vehicle—
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| (a) On two wheeler | Rs. 500 (for five years) |
| (b) On vehicle other than two wheeler | Rs. 1000 (for five years) |
- (2) At the time of fitness certificate of eight years old transport vehicle from the manufacture year, the following Green tax shall be payable—
- | | |
|---|------------|
| (a) Two wheeler, light motor vehicle and medium motor vehicle | Rs. 500 |
| (b) Heavy motor vehicle | Rs. 1000". |

6. In the Second Schedule to the principal Act,-

**Amendment of
Second Schedule.**

- (i) items 1, 2 and 3 shall be omitted;
- (ii) after item 4, the following new items shall be inserted, namely :—

"4A. Motor cycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1, having standard price up to Rs. 10 lakh—

- | | |
|--------------------------------|---|
| (a) Driven by Diesel | 8 percent of the standard price of vehicle |
| (b) Driven by Petrol | 7 percent of the standard price of vehicle |
| (c) Driven by Hybrid/ CNG/ LPG | 6 percent of the standard price of vehicle |
| (d) Driven by Battery | 5 percent of the standard price of vehicle. |

4B. Motor cycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1, having standard price exceeding Rs. 10 Lakh—

- | | |
|--------------------------------|---|
| (a) Driven by Diesel | 9 percent of the standard price of vehicle. |
| (b) Driven by Petrol | 8 percent of the standard price of vehicle. |
| (c) Driven by Hybrid/ CNG/ LPG | 7 percent of the standard price of vehicle. |
| (d) Driven by Battery | 6 percent of the standard price of vehicle. |

4C. On such two wheeler and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1 which are brought into the State of Madhya Pradesh from other State obtaining on objection certificate, such vehicle owner shall pay tax in the following percentage of rates mentioned in items 4A and 4B—

- | | |
|---|--------------|
| (a) Up to three years old registered vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate | 80 percent |
| (b) More than three years old registered vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate. | 60 percent”; |

(iii) item 5 shall be omitted;

(iv) in item 7, the words and figure "having registered laden weight 5000 kg. or less and" shall be omitted and after sub-item (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such Goods Carriage having laden weight more than 12000 kg., the owner of the vehicle shall have option to make payment of tax in accordance with item V (2) of the First Schedule.”;

(v) after item 7 , the following item shall be inserted, namely:—

“7A. Such Goods Carriage or such motor vehicle which are not covered in any of the category of vehicles specified in this Schedule which are brought for registration in the State of Madhya Pradesh after obtaining no objection certificate from other state, the rate of life time tax shall be as follows:—

- | | |
|---|---|
| (a) Up to three years old Goods Carriage / Motor vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate. | 5 percent of the standard price of the vehicle |
| (b) More than three years old Goods Carriage / Motor vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate. | 4 percent of the standard price of the vehicle.”. |